राजस्थान सरकार

कार्यालय, उपनिदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, भीलवाड़ा

क्रमांकःलेखा / निविदा / राछा / 2022–23 / 7035 दिनांकः 7/2/23

खुली बोली सूचना – 01/2022–23

कार्यालय उपनिदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, भीलवाड़ा द्वारा वाटर कूलर मय आर.ओ. क्रय हेतु निविदाएं निर्धारित प्रपत्र में आमंत्रित की जाती है। निविदा से सम्बन्धित सम्पूर्ण विवरण, बोली प्रपत्र एवं विस्तृत शर्ते विभागीय वेबसाईट http://www.sje.rajasthan.gov.in अथवा http://sppp.rajasthan.gov.in (राजस्थान राज्य लोक उपापन पोर्टल) पर देखा जा सकता है।

क्र.सं.	सामग्री का विवरण	अनुमानित लागत (रूपये में)	निविदा प्रपत्र शुल्क (रूपये में)	धरोहर राशि
1.	वाटर कूलर मय आर.ओ.	2.40 लाख	500 / –	4800 / –

विशेष विवरण–

क्र.सं.	विवरण	दिनांक	समय
1	निविदा जारी करने की दिनांक	दिनांक 07 / 02 / 2023	04.00 PM
2	निविदा प्रपत्र विक्रय करने की अंतिम दिनांक	दिनांक 14 / 02 / 2023	03.00 PM
3	निविदा जमा करने की अंतिम दिनांक	दिनांक 14 / 02 / 2023	05.00 PM
4	निविदा प्रपत्र खोले जाने की दिनांक	दिनांक 15 / 02 / 2023	04.00 PM से

1. निविदादाता द्वारा निविदा प्रपत्र शुल्क रसीद / डीडी व धरोहर राशि की डीडी जो उपनिदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, भीलवाड़ा के पक्ष में देय हो, निविदा फार्म के साथ प्रस्तुत करना होगा।
2. प्राप्त निविदाओं को क्रय समिति द्वारा उपस्थित बोलीदाताओं के समक्ष निर्धारित दिनांक व समय पर खोला जावेगा।
3. निविदा आवेदक फर्म जीएसटी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत होनी चाहिये।
4. निविदा प्रपत्र एवं संबधित दस्तावेज, निर्धारित प्रपत्र शुल्क किसी भी कार्य दिवस में नकद जमा करवाकर 14 / 02 / 2023 तक सायं 03:00 बजे तक कार्यालय उपनिदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग भीलवाड़ा से प्राप्त की जा सकती है या वेबसाइट http://sppp.rajasthan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।
5. निविदादाता निविदा भरने से पूर्व निविदा प्रपत्र का सावधानीपूर्वक गहन अध्ययन कर निविदा में वर्णित एवं अपेक्षित समस्त अर्हताओं एवं दस्तावेजों को स्वयं सत्यापन कर समाधान कर ले कि वह इस बोली हेतु समस्त पात्रताएं पूर्ण करता है। किसी भी स्तर पर गलत सूचनाएं, मिथ्या दस्तावेज आदि पाए जाने पर बोली अस्वीकार कर दी जाएगी।
6. इस निविदा पर सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम, राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम व प्रावधान तथा इनमें समय समय पर किए गए संशोधन लागू/प्रभावी होंगें।

7. निविदा से सम्बन्धित सभी अधिकार उपापन संस्था के पास सुरक्षित रहेगें। किसी भी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने तथा बोली प्रक्रिया को रद्द करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरकर्ता को होगा। निविदा से सम्बन्धित अन्य शर्तें एवं जानकारी कार्यालय से कार्यालय समय में प्राप्त की जा सकती है तथा विभागीय वेबसाईट अथवा http://sppp.rajasthan.gov.in (राजस्थान राज्य लोक उपापन पोर्टल) पर देखा जा सकता है।

उपनिदेशक
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,
भीलवाड़ा

प्रतिलिपि सूचनार्थ / पालनार्थः– 7036-39 07/2/23

1. श्रीमान् निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,जयपुर
2. प्रोग्रमर ,सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,जयपुर को विभाग की वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ।
3. नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
4. लेखा शाखा / केशियर, कार्यालय हाजा।

उपनिदेशक
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,
भीलवाड़ा

निविदा प्रारुप

(PART-A1)

श्रीमान् उपनिदेशक महोदय,
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
भीलवाड़ा (राज0)

विषय :– राजकीय अनुसूचित जाति वर्ग के छात्रावासों हेतु **वाटर कूलर मय आर.ओ.** आपूर्ति करने हेतु निविदा।

प्रसंग :– आपके कार्यालय की निविदा सूचना क्रमांक............................दिनांक :–..........................

महोदय,

1. मै/हम ....

....

.... दूरभाष नम्बर .... मोबाईल नम्बर ....

वॉट्सअप नम्बर..Mail ID...

(निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम एवं डाक का पूरा पता व दूरभाष नम्बर WHATSAAP NO व Mail ID पत्र व्यवहार हेतु अनिवार्य रुप से भरे)

2. मै/हम निविदा सूचना मे वर्णित समस्त शर्तो का पालन करने के लिए सहमत है तथा निविदा सूचना की अन्य शर्ते जो संलग्न पृष्ठों मे दी गई है (जिसके समस्त पृष्ठों पर उनमें वर्णित शर्तो को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रतीक स्वरुप, हस्ताक्षर कर दिये है) का पालन करने के लिए मै/हम सहमत हूं/है।
3. उक्त दरें अनुबंध अवधि से 31.03.2023 के लिए विधि मान्य होगी इस अवधि को पारस्परिक सहमति से संतोषप्रद सेवाएं प्रदान करने पर सक्षम अनुमोदन के उपरान्त बढाया जा सकता है।
4. धरोहर राशि हेतु **उपनिदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग भीलवाड़ा** के पक्ष में रु .... का डीडी/बैकर्स चैक संख्या .... दिनांक .... बैंक का नाम व पता ....संलग्न है।
5. निविदा शुल्क हेतु **उपनिदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग भीलवाड़ा** के पक्ष में रु 500 की नकद जमा रसीद/डीडी/बैंकर्स चैक संख्या ....दिनांक .... बैंक का नाम व पता ....संलग्न है।
6. जीएसटी रिर्टन एवं आयकर रिर्टन प्रमाण–पत्र संलग्न है।
7. फर्म के पेन. नम्बर ....(पेन कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न है।)
8. जीएसटी नम्बर ....(जी.एस.टी. पंजीकरण स्वप्रमाणित प्रति)
9. फर्म का विगत दो वर्षों का कार्य अनुभव का प्रमाण पत्र जिसमें राजकीय कार्यालयो के न्युनतम कुल 15 लाख के कार्यादेश संलग्न है।
10. एस.आर. 11 में अधिकृत विक्रेता संबंधी घोषणा पत्र।
11. निम्नानुसार परिशिष्ट(Annexure) A से G संलग्न है–

(I)Annexure-A: Compliance with the code of integrity and no Conflict of Interest
(II)Annexure-B: Declaration by the Bidder regarding Qualifications
(III)Annexure-C: Grievance Redressal during Procurement Process
(IV)Annexure-D: Additional Conditions of Contract
(V)Annexure-E: Declaration regarding acceptance of Terms & Conditions of Bid
(VI)Annexure-F: Certificat regading Non Black listed **(on 50/- Non Judicial stamp paper, Noterized)**
(VII)Annexure-G: Bidder's Authorization Certificate

मैं/हम, निविदा सूचना एवं इस प्रपत्र में दी गयी सभी शर्तों से सहमत हूं/है। इसके सभी पृष्ठों पर उल्लिखित शर्तो को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रमाण में मैंने/हमनें हस्ताक्षर किये है। हम राज्य सरकार के उपापन संबंधी अधिनियम/नियम आदेश से आबद्ध होना स्वीकार करते है। यदि मेरे द्वारा प्रस्तुत कोई तथ्य गलत/मिथ्यापूर्ण पाया जाता है तो मैं उसके लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार रहूंगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील

बोली से संबंधित सामान्य शर्तेः

(PART-A2)

(निर्देश– बोलीदाताओं को इन शर्तों को सावधानी पूर्वक पढ़ना चाहिए तथा पूर्ण रूपेण पालना करनी चाहिए।)

1. निविदा प्रपत्र एवं संबधित दस्तावेज निर्धारित प्रपत्र शुल्क कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में नकद जमा करवाकर 14/02/2023 तक सायं 03:00 बजे तक कार्यालय समय में प्राप्त की जा सकती है या वेबसाइट http://sppp.rajasthan.gov.in पर डाउनलोड किया जा सकता है। भरी हुई निविदा दिनांक 14.02.2023 को सायं 05:00 बजे तक जमा की जायेगी। तथा दिनांक 15.02.2023 सायं 04.00PM बजे क्रय समिति एवं उपस्थित निविदादाताओ के समक्ष खोली जावेगी।
2. निर्धारित तिथि व समय के पश्चात प्राप्त बोली स्वीकार नहीं की जावेगी।
3. यदि किसी कारणवश अवकाश रहता है तो निविदा अगले कार्य दिवस को उसी समय व स्थान पर खोली जायेगी।
4. निविदादाता द्वारा निविदा शुल्क रसीद/डीडी व धरोहर राशि डीडी जो उपनिदेशक,सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग भीलवाड़ा के पक्ष मे जो की भीलवाड़ा मे देय हो निविदा फार्म के साथ प्रस्तुत करना होगा। सशर्त निविदाओ पर विचार नही किया जायेगा।
5. निविदादाताओं को निविदा में दिये गये निर्देशों के अनुसार निर्धारित प्रपत्र में उचित रूप से निविदा प्रपत्र, तकनीकी(पार्ट–A1&A2) एवं वित्तीय बोली(पार्ट–B) निर्धारित प्रारूप में अलग–अलग लिफाफो में प्रस्तुत की जानी होगी। तकनीकी रूप से सफल बोलीदाताओं की ही वित्तीय बोली खोली जावेगी। तकनीकी रूप से अस्वीकृत बोली पर विचार नहीं किया जावेगा।
6. बोली शर्त रहित एवं बोली दर समस्त कर सहित देवें।
7. राजस्थान लोक उपापन में पादर्शिता अधिनियम 2013, जिसे आगे "अधिनियम" व "नियम" कहा गया है तथा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम एवं इस संबंध में वित्त विभाग, राजस्थान द्वारा जारी अधिसूचना, परिपत्र, गाइर्डलाईन, आदेश, निर्देश आदि प्रभावी रहेगे। बोलीदाता को "अधिनियम" एवं "नियम" की पूर्ण जानकारी कर लेनी चाहिए। बोली दस्तावेज तथा उपर्युक्त "अधिनियम" एवं "नियम" में किसी प्रकार की विसंगति होने पर उक्त "अधिनियम" एवं "नियम" के प्रावधान ही अधिभावी होंगें।
8. कार्य क्षेत्र संबंधित छात्रावास जिला भीलवाड़ा होगा, जिसकी सूची **परिशिष्ठ – अ** में इस निविदा की शर्तों के साथ में दी गयी हैं। आपूर्तिकर्ता द्वारा सूची में वर्णित छात्रावासों में ही वाटर कुलर आपूर्ति की जावेगी। जिस हेतु आपूर्तिकर्ता को कोई अतिरिक्त भुगतान देय नहीं होगा।
9. आपूर्ति किये जाने वाले वाटर कुलर विभाग द्वारा निर्धारित स्पेशिफिकेशन संलग्न **परिशिष्ठ – ब** के अनुसार होने पर ही स्वीकार किये जायेंगे। निर्धारित स्पेषिफिकेषन की पात्रता पूर्ण नही करने पर निविदा स्वतः निरस्त मानी जायेगी।
10. कोई भी बोलीदाता यदि उस राज्य में प्रचलित,जहॉ उसका व्यवसाय स्थित है GST अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत नही है तो वह प्रस्ताव नही देगा। GST पंजीयन संख्या का उल्लेख किया जाना चाहिए।
11. बोली दाता फर्म अथवा मालिक का PAN कार्ड की फोटो प्रति संलग्न की जानी है।
12. उक्त बोलियों को आंशिक या पूर्ण रूप से स्वीकार/अस्वीकार करने का पूर्ण उपनिदेषक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,भीलवाड़ा अधिकार को होगा।
13. बोली में आंमत्रित दरें अनुमोदित किये जाने की दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये विधिमान्य होगी तथा पारस्परिक सहमति से इस अवधि को नियमानुसार बढ़ाया जा सकता है।
14. फर्म का जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है। इस सन्दर्भ में बोलीदाता को बोली प्रपत्र के साथ स्वयं हस्ताक्षरित जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन प्रमाण–पत्र की प्रति प्रस्तुत करनी होगी।
15. बोलीदाता बोली भरने से पूर्व अपेक्षित समस्त अर्हताओं एवं दस्तावेजों को स्वयं सत्यापन कर समाधान कर ले कि वह इस बोली हेतु समस्त पात्रताएं पूर्ण करता है। किसी भी स्तर पर गलत सूचनाएं, मिथ्या दस्तावेज आदि पाए जाने पर बोली अस्वीकार कर दी जाएगी एवं बोलीदाता के विरूद्ध जो भी कार्यवाही नियमानुसार होगी, की जाएगी।
16. निविदादाता द्वारा बोली प्रपत्र/निविदा का शुल्क रसीद/डीडी तकनीकी बोली लिफाफे में संलग्न करना होगा। बोली प्रपत्र शुल्क किसी भी स्थिति में नहीं लौटाया जाएगा।

17. अमानत राशि वस्तु के प्राक्कलित मूल्य का 2% होगी राजस्थान के लघु उद्योगो की दशा में यह प्रदाय के लिये प्रदत्त मात्रा का 0.5% होगी।

18. जिस फर्म की दरें अनुमोदित की जावेगी उस फर्म को 500 रू. के नॉन ज्यूडीशियल स्टाम्प पर अनुबंध करना होगा। जिसका समस्त व्यय संवेदक द्वारा वहन कियां जावेगा एवं अनुमानित लागत की राशि का कुल 5 प्रतिशत कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि (Performance Security Deposite) के रूप कार्यालय उपनिदेशक सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता विभाग, भीलवाड़ा में निविदा स्वीकृती के 3 दिवस के अन्दर जमा करवानी होगी। निविदादाता द्वारा पूर्व में जमा करवाई गई 2 प्रतिशत अमानत राशि को प्रतिभूति राशि में समायोजित कर लिया जावेगा।

19. MSME बोलीदाता को बोली प्रतिभूति/कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि में छूट प्राप्त करने के लिये वित्त विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 19.11.2015 एवं संशोधन दिनांक 29.08.2018 के अनुसार संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है, अन्यथा बोली प्रतिभूति/कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि में छूट देय नहीं होगी।

20. निविदा सूचना एवं निविदा प्रपत्र के संलग्न निविदा शर्तो की पालना नही करने पर अमानत राशि एवं प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जावेगी।

21. आपूर्तिकर्ता द्वारा निविदा में प्रस्तुत दरो पर ही आपूर्ति की जावेगी। साथ ही निविदा की शर्तो के अनुसार ब्राण्ड वारण्टी कार्ड भी कार्यालय में जमा कराना होगा।

22. आपूर्तिकर्ता द्वारा निविदा के अन्तर्गत प्रस्तुत दरो पर ही सामग्री की सप्लाई की जावेगी। इसमें किसी भी प्रकार की बढ़ोतरी या परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जावेगा।

23. किसी भी समय निविदा को संशोधित करने एवं बिना कारणं बतायें निरस्त करने के समस्त अधिकार उपापन समिती के पास सुरक्षित है।

24. निविदादाता को तकनीकी बिड के साथ पात्रता के संबंध में वांछित दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

25. बोलिया का अपवर्जित अधिनियम की धारा 25 में उल्लेखित आधार पर बोली को अपवर्जित किया जा सकेगा।

26. फर्म अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य ऐजेन्सी को नही सोपेगा या उप–भाडे /सब लेट पर नही देगा

27. धरोहर राशि /प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज भुगतान नही किया जावेगा।

28. प्रतिभूति की राशि को पूर्ण या आंशिक रुप से निम्नलिखित मामलों में समपहत (जब्त) किया जावेगा।

(अ) जब निविदा/संविदा की शर्तो का उल्लंघन किया गया हों।

(ब) जब निविदादाता सम्पूर्ण कार्य संतोषजनक रुप से करने मे असफल रहा हो।

(स) प्रतिभूति निक्षेप को समपहत करने के मामले में युक्ति युक्त समय पूर्व नोटिस दिया जावेगा। इस संबंध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

29. बोलीदाता को निविदा प्रपत्रो, संलग्न दस्तावेजो एवं निविदा की समस्त शर्तो सहित प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है। अपूर्ण तथा अहस्ताक्षरित निविदा अमान्य होगी।

30. निविदा सूचना में वर्णित मात्रा/संख्या अनुमानित है। मात्रा/संख्या में कमी अथवा वृद्धि हो सकती है।

31. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र भीलवाड़ा होगा।

32. निविदादाता राजस्थान मूल्यवर्धित कर अधिनियम–2003 एवं जीएसटी नियम 2017 के अधीन रजिस्ट्रकृत व्यवसायी होना चाहिए।

33. अनुमोदित प्रदायकर्ता के लिए यह समझा जाएगा कि उसने प्रदाय किये जाने वाले माल की शर्तो, विनिर्देशो, आकार, मेक एंव रेखाचित्रों आदि की सावधानीपूर्वक जांच कर ली है। यदि उसे इन शर्तो, विनिर्देशो, तकनीकी स्पेसिफिकेशन आदि के किसी भाग से आशय के बारे मे कोई संदेह हो, तो व संविदा पर हस्ताक्षर करने से पूर्व उसे प्रभारी अधिकारी को भेजेगा तथा उससे स्पष्टीकरण प्राप्त करेगा।

34. विनिर्देश :–(।) प्रयुक्त की गयी सभी वस्तुए निविदा में निर्धारित विनिर्देश, ट्रेडमार्क के पूर्णतया अनुरुप होगी तथा जहॉ पर वस्तुओं की आई.एस.आई. विनिर्देश के अनुसार अपेक्षा की गई हो, वहॉ उन मदो को पूर्णरुप से उन विनिर्देशों के अनुरुप होना चाहिए तथा उन पर वह मार्क होना चाहिए।

(।।) वस्तुओं का प्रदाय, अन्य बातों के साथ अनुमोदित मानकों के ठीक अनुरुप होगा तथा अन्य सामग्रीयों के मामले में, जहां कोई मानकीकृत या अनुमोदित मानक न हो, वहां अन्युत्तम गुणवत्ता एवं विवरण की वस्तु प्रदाय किया जाएगा।

35. निरीक्षण या परीक्षण के दौरान आपूर्ति की गई सामग्री उत्तम गुणवत्ता की नही होने पर स्वीकार नही जाएंगी। निविदादाता द्वारा उन्हे क्रेता अधिकारी द्वारा निश्चित किए गए समय के भीतर अपनी स्वयं की लागत पर बदला जाएगा।

36. अस्वीकृत सामग्री को निविदादाता इस आशय की सूचना प्राप्त होने से 15 दिन के भीतर हटा लेगा, इसके बदले क्रेता अधिकारी किसी भी प्रकार की हानि, कमी या नुकसान के लिए उत्तरदायी नही होगां।

37. सफल निविदादाता को आदेश देने की तिथि से 15 दिवस के भीतर आपूर्ति एवं इन्स्टॉलेशन करना होगा। इन्स्टॉलेशन के पश्चात आपूर्तिकर्ता को कार्यालय में विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी जिसमें छात्रावास अधीक्षक की प्राप्ति रसीद, कार्य पूर्व एवं कार्य पश्चात फोटोग्राफ, कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र एवं वारण्टी संबंधी दस्तावेज आदि होंगे।

38. आपूर्तिकर्ता द्वारा इस कार्यालय से अनुमोदन के पश्चात जारी क्रय आदेश के क्रम में आपूर्ति की गई सामग्री का बिल इस कार्यालय को तीन प्रतियों में प्रस्तुत करने के पश्चात भुगतान नियमानुसार भौतिक सत्यापन के पश्चात निदेशालय से प्राप्त निर्देशों के अनुरूप किया जावेगा। भुगतान में किसी भी प्रकार का विलम्ब होने पर भुगतान योग्य राशि पर कोई ब्याज स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

39. बयाना राशिः– (क) बयाना राशि का प्रतिदाय :– असफल निविदादाता की बयाना राशि निविदा को अन्तिम रुप से स्वीकार करने के बाद लौटायी जावेगी। (ख) केन्द्र सरकार एवं राजस्थान सरकार के उपक्रमों को कोई बयाना राशि जमा कराने की आवश्यकता नही है। बयाना राषि से संबंधित नियम राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के अनुरूप होगें।

40. आपूर्तिकर्ता द्वारा सामग्री को संबंधित छात्रावास में कार्यस्थल पर इनस्टोलेशन किया जावेगा एवं इनस्टोलेशन सम्बन्धित समस्त व्यय आपूर्तिकर्ता द्वारा वहन किया जावेगा इस हेतु कोई अतिरिक्त भुगतान स्वीकृत नहीं किया जावेगा। यदि इनस्टोलेशन के समय किसी भी प्रकार के अतिरिक्त सामान की आवश्यकता होती है तो उसका खर्च भी आपूर्तिकर्ता द्वारा वहन किया जायेगा।

41. फर्म द्वारा प्रस्तुत बिल में जीएसटी राशि को अलग दर्शाया जाकर बिल प्रस्तुत करना होगा। संबंधित विभाग में जीएसटी राशि जमा कराने का दायित्व फर्म का होगा।

42. भुगतानः–किसी भी मामले में अग्रिम भुगतान प्रदाय नही किया जाएगा। उन मामलों के संबंध में, जिनमे परीक्षण करने की जरुरत है, भुगतान तभी किया जाएगा जब उनका परीक्षण कर लिया जाए तथा प्राप्त हुंए परीक्षण परिणाम विहित विनिर्देशो के अनुरुप हो।

43. निविदा को बढाया जाना – यदि आवश्यक हुआ तो राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के प्रावधानानुसार 73(2)बी के अनुसार मूल संविदा की सामग्री के मूल्य के 50 प्रतिशत तक अनुपातिक रुप से निविदा की समयावधि बढाई जा सकेगी।

44. निविदायें मुहरबन्द लिफाफे में इस कार्यालय द्वारा निर्धारित प्रपत्र तकनीकी व वित्तीय निविदा में पूर्ति कर देनी होगी निर्धारित निविदा प्रपत्र एसपीपी पोर्टल से भी डाउनलोड किया जाकर प्रस्तुत किया जा सकता है। निविदा प्रपत्र निर्धारित दिनांक एवं समय पूर्व डाउनलोड करना आवष्यक है।

45. सशर्त/डाक/तार से भेजी गई निविदाएं स्वीकार नही की जायेगी।

46. निविदा प्राप्त करने एवं खोलने का स्थान कार्यालय उपनिदेषक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, भीलवाड़ा (राज.) होगा।

47. निविदादाता का पूर्ण रूप से भरी एवं सीलबन्द निविदाए व्यक्तिगत रूप से इस कार्यालय में जमा करवानी होगी।

संवेदक द्वारा निविदा दो सीलबन्द लिफाफा मे प्रस्तुत करें प्रथम लिफाफे पर तकनीकी निविदा लिखकर निविदाशर्ते, बयाना राशि का डीडी, अनुभव प्रमाण पत्र, जीएसटी पंजीयन प्रमाण पत्र, पेन/टेन की छाया प्रति एवं आवश्यक दस्तावेज रखने है एवं द्वितीय लिफाफे पर वित्तीय निविदा लिखकर केवल वित्तीय बोली प्रपत्र रखना है। सामग्री क्रय हेतु कार्यादेश इस कार्यालय से ही जारी किया जावेगा।

48. सुपुर्दगी अवधिः– निविदादाता जिसकी निविदा स्वीकार की जाए, इस कार्यालय से अनुमोदित आदेश करने की तारीख से 15 दिवस की अवधि के भीतर अथवा अग्रिम आदेशानुसार सामान का प्रदाय करने की व्यवस्था करेगा। यदि कार्यकारी संस्था किन्ही निविदत्त कार्यो को नही कराता है या निविदा प्रपत्र में निर्दिष्ट मात्रा से कम मात्रा मे संपादित कराता है, तो निविदादाता किसी क्षतिपूर्ति का क्लेम करने का हकदार नही होगा।

49. सामान/वस्तु की क्रय राशि अनुमानित है। अनुबन्ध अवधि के दौरान क्रय सामग्री की कुल क्रय अनुमानित कीमत से कम/अधिक हो सकती है।

50. बोलीदाता/प्रदायकर्ता द्वारा निविदा में वर्णित अनुसार एक आईटम की एक ही दर एवं मेक/मॉडल प्रस्तुत करेगा।

51. बोली प्रपत्र में अंकित शर्तो के अतिरिक्त किसी प्रकार की कोई शर्त अंकित न की जावे। सशर्त बोली स्वीकार नहीं की जावेगी।

52. **बोली दस्तावेजों में परिवर्तनः** बोली प्रस्तुत करने के लिए अन्तिम समय सीमा से पूर्व किसी भी समय उपापन संस्था किसी कारण से चाहे स्वप्रेरणा पर या बोली लगाने वाले के द्वारा स्पष्टीकरण के लिए किसी अनुरोध के परिणाम स्वरूप धारा 23 के उपबन्धों के अनुसार युक्तिका जारी करके बोली दस्तावेजो को उपान्तरित कर सकेगी।

53. बोलीदाता को निविदा में वर्णित शर्तो के किसी भाग, स्पेसिफिकेशन आदि के आशय के बारे में कोई संशय हो तो वह ऐसे बिन्दुओं/तथ्यों के संबंध में स्वयं या अपने अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से कार्यालय समय में कार्यालयाध्यक्ष से सम्पर्क करें।

54. बोलीदाता अपनी संविदा को या किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी के लिए नहीं सौंपेगा या उपभाडे पर नहीं देगा अर्थात उसे सबलेट नहीं कर सकेगा।

55. बोलीदाता या उसके प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन करना/कराना एक प्रकार की अनर्हता होगी।

56. बोलीदाता द्वारा बोली प्रपत्र एवं शर्तो के प्रत्येक पृष्ठ पर शर्तो की स्वीकृति एवं सहमति स्वरूप हस्ताक्षर करने आवश्यक हैं अन्यथा बोली पर विचार नहीं किया जाएगा।

57. वित्तीय बोली निर्दिष्ट कॉलमों में प्रस्तुत की जावेगी। प्राप्त तकनीकी बोलियो के परीक्षण उपरान्त तकनीकी रूप से सफल बोलीदाता की ही वित्तीय बोली खोंली जाएगी।

58. उपापन संस्था न्यूनतम दर को स्वीकार करने के लिए बाध्य नही है। उपापन संस्था किसी भी बोली को स्वीकार करने/स्वीकार न करने/निरस्त करने या उसके किसी भी भाग को बिना कोई कारण बताए रद्द करने का सम्पूर्ण अधिकार अपने पास सुरक्षित रखती है। उपापन संस्था का निर्णय वैधानिक तौर से सर्वोत्तम निर्णय माना जाएगा तथा सभी पक्षकारों के लिए मानने के लिए बाध्यकारी रहेगा।

59. <u>करार का निष्पादन</u> :–

a) कोई उपापन संविदा, ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगी, जिसको स्वीकृति पत्र या आशय पत्र बोली लगाने वाले को प्रेषित किया जाता है।

b) सफल बोली लगाने वाले को 3 दिवस के भीतर, जिस पर सफल बोली लगाने वाले को स्वीकृति पत्र या आशय पत्र प्रेषित किया जाता है, उपापन संविदा पर हस्ताक्षर करने होंगे। जिन सामानो के लिए निविदाए स्वीकार की गयी है,उनके मूल्य के 5 प्रतिषत के बराबर परफोर्मस प्रतिभूति जमा करानी होगी। यह प्रतिभूति प्रेषण के उस दिनांक से जिसको निविदा के स्वीकार किए जाने की सूचना दी गयी है के 3 दिन के भीतर जमा करायी जाएगी।

c) सफल बोली दाता की निविदा प्रतिभूति/बोली प्रतिभूति को परफोर्मस सिक्युरिटी की राशि के लिए समायोजित किया जा सकेगा। परफोर्मेस सिक्युरिटी किसी भी दषा मे निविदा धरोहर राशि से कम नही होगी।

d) प्रतिभुति राशि डीडी के रूप में देय होगी। इस पर ब्याज देय नही होगा।

e) एक बार खरीद के मामले मे क्रय आदेश के अनुसार मदो के अंतिम प्रदाय से एक माह के भीतर तथा सुपुर्दगी को सान्तर किया जाता है तो दो माह के भीतर असकी संविदा के संतोषजनक रूप से पूर्ण होने के बाद तथा यह संतुष्ट होने के बाद की संवेदक के विरूद्व कोई बकाया नही है प्रतिभुति राशि का प्रदाय किया जाएगा।

f) यदि बोली लगाने वाला, जिसकी बोली स्वीकृत की जा चुकी है, विनिर्दिष्ट कालावधि में लिखित उपापन संविदा पर हस्ताक्षर करने में विफल रहता है या अपेक्षित कार्य सम्पादन प्रतिभूति देने मे विफल रहता है तो उपापन संस्था, सफल बोली लगाने वाले के विरूद्ध अधिनियम या इन नियमों के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई करेगी। उपापन संस्था, ऐसे मामलो में उपापन प्रक्रिया रद्द कर सकेगी या यदि वह उचित समझे तो, बोली दस्तावेज में उपवर्णित कसौटी और प्रक्रियाओं के अनुसार, न्यूनतम या सर्वाधिक लाभप्रद दरों पर अगले न्यूनतम या सर्वाधिक लाभप्रद दर की बोली लगाने वाले को, स्वीकृति का प्रस्ताव दे सकेगी।

60. <u>भुगतान</u> :–

a) भुगतान बोलीदाता द्वारा उचित प्रारूप में सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार बिल प्रस्तुत करने पर किया जाएगा तथा सभी प्रेषण प्रभार बोलीदाता द्वारा वहन किये जाएंगे।

b) विवादास्पद मदों के संबंध में, नियमानुसार राशि को रोका जाएगा तथा उस विवाद का निपटारा हो जाने पर उसका भुगतान कर दिया जाएगा।

c) उन मामलों के संबंध में जिनमें परीक्षण करने की जरूरत है भुगतान तभी किया जाएगा जब वे परीक्षण कर लिए जाएंगे तथा प्राप्त परीक्षण परिणाम विहित विनिर्देशों के अनुरूप होंगे।

d) फर्म के बिलों से भुगतान के समय नियमानुसार करो की कटौती की जाएगी।

61. **परिसमापित नुकसानी** :– परिसमापित नुकसानी के साथ सेवा आपूर्ति अवधि में वृद्धि करने के मामले में, वसूली निम्नलिखित प्रतिशतता के आधार पर उन कार्यो के मूल्यों के लिए की जाएगी जिनका बोलीदाता कार्य करने में असफल रहा है (इस संबंध में यदि कोई हो तो बोली प्रपत्र में अंकित की गई शर्ते लागू होगी)

a) विहित अवधि की एक चौथाई अवधि तक के लिए विलम्ब के लिए 2.5 प्रतिशत

b) एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि की आधी अवधि से अनधिक के लिए 5 प्रतिशत

c) आधी अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि के तीन चौथाई से अनधिक अवधि के लिए 7.5 प्रतिशत

d) विहित अवधि की तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिए 10 प्रतिशत

e) कार्य में विलम्ब की अवधि की गणना करते समय आधे दिन से कम भाग को छोड दिया जाएगा।

f) परिसमापित नुकसानी कटौति राशि अधिकतम 10 प्रतिशत होगी।

g) यदि बोलीदाता, किन्हीं बाधाओं के कारण संविदान्तर्गत कार्य को पूरा करने के लिए समय में वृद्धि कराना चाहता है, तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा, जिसने कार्य हेतु आदेश दिया है किन्तु वह उसके लिए निवेदन बाधा से घटित होने होने पर तुरन्त उसी समय करेगा न कि कार्य पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद करेगा।

h) यदि कार्य करने में उत्पन्न हुई बाधा बोलीदाताओ के नियंत्रण से परे कारणों से हुई तो कार्य की अवधि में वृद्धि नियमानुसार परिसमापित नुकसानी कटौति सहित या रहित की जा सकेगी।

i) परिसमापित राशि की कटौती फर्म के लम्बित भुगतान राशि के पेटे जमा राशि में से की जावेगी।

62. समस्त विधिक कार्यवाहियां यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो, किसी भी पक्ष (सरकार या ठेकेदार) द्वारा भीलवाड़ा न्यायिक क्षेत्र पर अधिकारिता रखने वाले न्यायालयों में ही की जाएगी, अन्यत्र नहीं की जाएगी।

63. कार्यादेश जारी करने के उपरान्त प्राप्त सामग्री की जांच क्रय/तकनीकी समिति द्वारा की जाएगी एवं अपेक्षित विनिर्देशों अनुसार सामग्री प्राप्त होने की समिति द्वारा रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त ही बोलीदाता को भुगतान किया जाएगा।

64. उपरोक्त शर्तो के अतिरिक्त जहां आवश्यक हो, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के फार्म एसआर–14, 15, 16 एवं 17, राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियमों, 2013 तथा इनमें समय समय पर किए गए संशोधन प्रभावी होंगें।

65. उपरोक्त नियमो के अलावा राज्य सरकार के किसी आदेश, परिपत्र, नियम एवं अधिनियम की पूर्ण पालना से संतुष्ट नही होने पर बोली निरस्त करने का पूर्ण अधिकार अद्योहस्ताक्षरकर्ता को रहेगा।

मैं/हम उपनिदेशक,सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, भीलवाड़ा द्वारा जारी की गई बोली सूचना में वर्णित समस्त शर्तो तथा संलग्न पत्रों (जिसके समस्त पृष्ठों पर हमने उसमें वर्णित शर्तो की स्वीकृति के प्रमाण स्वरूप हस्ताक्षर कर दिए हैं) में दी गई समस्त शर्तो से बाध्य होना स्वीकार करते हैं साथ ही इस बात पर भी सहमति देते हैं कि मेरे/हमारे द्वारा बोली के साथ संलग्न किए गए समस्त दस्तावेजों की प्रमाणिकता की जांच मेरे/हमारे द्वारा अपने स्तर पर कर ली गई है। सभी दस्तावेज विधिक/प्रक्रियात्मक/मौलिक रूप से सही है। यदि बोली प्रक्रिया या बोली प्रक्रिया के पश्चात किसी भी स्तर पर उक्त दस्तावेजों की प्रमाणिकता असिद्ध होती है तो इसके लिए मैं/हम पूर्ण रूपेण उत्तरदायी रहूंगा/रहेंगें एवं इसके लिए विभाग किसी भी स्तर पर किसी भी समय बिना नोटिस दिए हमारी बोली/अनुबंध को निरस्त करने/हमारे विरूद्ध कानून/विधिसम्मत दण्डात्मक कार्यवाही करने के लिए सक्षम होगा।

हस्ताक्षर बोलीदाता मय मुहर

निविदादाताओं द्वारा घोषणा

SR-11

मै/हम..घोषणा करता हूं/करते है कि मैने/हमने जिन मालों/उपकरणों के लिए निविदा दी है, उनका/उनके मै/हम बोनाफाईड विनिर्माता/थोक विक्रेता/सोल वितरक/प्राधिकृत डीलर/डीलर/सोल विक्रय/विपणन एजेण्ट हूं/हैं।

यदि यह घोषणा असत्य पाई जाती है तो किसी भी अन्य कार्यवाही, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्णरुप से समपहृत (जब्त) किया सकेगा तथा निविदा को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्व किया जा सकेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

निविदादाताओं द्वारा घोषणा

मै/हम.. घोषणा करता हूं/करते है कि जिस कार्य के लिए निविदा की गई है उसका मेरे/संस्था के पास कार्य पूर्ण अनुभव है। यदि यह घोषणा असत्य पाई जाती है तो किसी भी अन्य कार्यवाही जो कि की जा सकती है पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मेरी/हमारी धरोहर राषि को पूर्ण या आंषिक रुप से जब्त की जा सकती है तथा निविदा को जिस भाग/सीमा तक स्वीकार किया गया है को रद्व किया जा सकेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

Annexure- A: Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall-

a) Not offer any bribe, reward of gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;
b) Not misrepresent or omit misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;
c) Not indulge in any collusion, Bid rigging or anti competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;
d) Not misuse any information shared between the procuring entity and the bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;
e) Not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any part or to its property to influence the procurement process;
f) Not obstruct any investigation or audit of procurement process,
g) Disclose conflict of interest, if any, and
h) Disclose any previous transgression with any entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

CONFLICT OF INTEREST:

The bidder participating in a bidding process must not have a conflict of interest. A conflict of interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

1. A Bidder may be considered to be in conflict of interest with one or more parties in bidding process if, including but not limited to:

a. Have controlling partners/shareholders in common; or

b. Receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or

c. Have the same legal representative for purposes of the Bid; or

d. Have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another bidder, or influence the decision of the procuring entity regarding the bidding process; or

e. The bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a bidder, in more than one Bid; or

f. The bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the goods, works or services that are the subject of the Bid; or

g. The bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired by the Procuring Entity as engineer-in charge/consultant for the contract.

Signature of Bidder with Seal

Date:

Name:

Designation:

Address:

Annexure- B: Declaration by the Bidder regarding Qualifications

DECLARATION BY THE BIDDER

In relation to my/our Bid submitted to Assistant director SJED,Dungarpur for procurement of **M/s** .... In response to their notice inviting Bids No......................Dated ....I/we hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the bidding Document issued by the procuring entity;

2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the bidding document;

3. I/we are not insolvent, in receivership bankrupt or being would up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;

4. I/we do not have, and our directors and officers not have been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements of misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;

5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the bidding document, which materially affects fair competition.

Signature of Bidder with Seal

Date:

Place:

Name:

Designation:

Address:

Annexure- C: Grievance Redressal during Procurement process

GRIEVANCE REDRESSAL DURING PROCUREMENT PROCESS

The designation and address of the First Appellate is **Director, Social Justice & Empowerment Department, Jaipur.**

The designation and address of the Second Appellate Authority is **Secretary to Government , Social Justice & Empowerment Department, Jaipur.**

1. Appeal not to lie in certain cases:-

No appeal will lie against any decision of the procuring entity relating to the following matters, namely:-

(a) Determination of need of procurement;
(b) Provision limiting participating of bidders in the Bid process;
(c) The decision of whether or not to enter into negotiations;
(d) Cancellation of procurement process;
(e) Applicability of the provisions of confidentiality

2. Fee for filling appeal

(a) Fee for first appeal will be rupees one thousand and for second appeal will be rupees four thousand, which will non-refundable.
(b) The fee will be paid in the form of bank demand draft of Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

Date:
Place

Signature of Bidder with Seal
Name:
Designation:
Address:

Annexure- D: Additional Conditions of Contract

1. Correction of Arithmetic Errors:-

Provided that a financial Bid is substantially responsive, the procuring entity will correct arithmetical errors during evaluation of financial Bids on the following basis:

(i) If there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price will prevail and the total price will be corrected, unless in the opinion of the procuring entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted will govern and the unit price will be corrected;

(ii) If there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the sub totals will prevail and the total will be corrected; and

(iii) If there is a discrepancy between words and figures, the amount in words will prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures will prevail subject to clause (i) and (ii) above.

If the bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid will be disqualified and its Bid security will be forfeited or its Bid securing declaration will be executed.

2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities

The quantity mentioned in the Bid is the minimum approximate quantity that the bidder will have to compulsorily supply to specified destination.

(a) At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or service originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit process or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.

(b) If the procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procure less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the conditions of contract.

(c) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity will not be more than 50% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the supplier fails to do so, the Procuring Entity will be free to arrange for the balance supply by limited bidding or otherwise and the extra cost incurred will be recovered from the supplier.

Date:
Place:

Signature of Bidder with Seal
Name:
Designation:
Address:

Annexure-E: Declaration regarding acceptance of Terms & Condition of Bid

Bidder Name............................

I/We confirm that I/We are authorized to submit Bid on behalf of the firm participating in the Bid and have perused the entire Tender/Bid document including all its amendments till date.

Having perused the subject Bid with all amendments (wherever applicable). I/We hereby confirm unconditional acceptance and compliance to abide by all its terms & conditions as mentioned in Tender/Bid document including technical particulars, detailed technical specifications of the product, special terms & conditions and general terms & conditions wherever indicated, offer validity, terms of delivery without any deviations whatsoever:

I/We also confirm acceptance of the all general terms & conditions of Bid document.

I/We certify that the prices quoted against the Bid are competitive and without adopting any unfair/unethical means in including cartelization.

I/we certified that tendering firm has not been black listed/banned by any Government Department of the State /PSU from business dealings.

I/We also certified that the information given above is factually correct, true and nothing material has been concealed.

Date:
Place:

Signature of Bidder with Seal
Name & Address

Annexure-F:

(on 50/- Non Judicial stamp paper, Noterized)

ब्लेक लिस्ट/अयोग्य न होने तथा अन्य सक्षमताएं पूरी करने का प्रमाण पत्र

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि :–

1. हमारी फर्म को किसी भी राजकीय विभाग/राजकीय संस्थान/निगम/बोर्ड आदि के द्वारा किसी प्रकार की सामग्री आदि की आपूर्ति संतोषप्रद रूप से पूर्ण नहीं करने के लिए कोई शास्ति आरोपित नहीं की गई है एवं न ही ब्लेक लिस्ट/अयोग्य घोषित किया गया है।
2. यह कि इस बोली हेतु हमारी फर्म आवश्यक वृत्तिक, तकनीकी, वित्तीय और प्रबंधकीय स्त्रोत तथा उपापन संस्था द्वारा जारी किये गये बोली दस्तावेजों द्वारा अपेक्षित सक्षमता धारित करती हैं।
3. यह कि हमारी फर्म द्वारा केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा यथास्थिति किसी स्थानीय प्राधिकारी को संदेय समस्त करो का भुगतान किया जा चुका हैं और कोई भी कर बकाया नहीं हैं।
4. यह कि हमारी फर्म दिवालिया, रिसीवर के अधीन, शोधन अक्षम नहीं हैं, न ही किसी न्यायालय या किसी न्यायिक अधिकारी द्वारा प्रशासित कार्यकलाप रखती हैं न ही फर्म का कार्यकलाप निलंबित हैं और न पूर्वगामी कारणों मे से किसी के लिये भी विधिक कार्यवाहियों के अध्यधीन हैं।
5. यह कि हमारे वृतिक आचरण या उपापन प्रक्रिया के प्रारम्भ के पूर्ववर्ती 3 वर्ष की किसी कालावधि के भीतर कोई उपापन संविदा किये जाने के लिये अपनी अहर्ताओं के बारे में मिथ्या कथन करने या दुर्व्यपदेशन संबंधी किसी दांडिक अपराध के संबंध में हमारी फर्म अथवा फर्म के निदेशक और अधिकारी दोष सिद्ध नहीं हुए हैं ना ही विवर्जन कार्यवाहियों के अनुसरण में अन्यथा निरर्हित हुए हैं।

यदि यह घोषणा असत्य पाई जाए तो किसी भी अन्य कार्यवाही, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप में समपहृत किया जा सकेगा तथा बोली को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द किया जा सकेगा।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय मुहर

Annexure-G: Bidder's Authorization Certificate

(To be filled by bidder)

To,

I/We ....(Name/Designation) hereby declare/certify that .... (Name/Designation) is hereby authorized to sign relevant documents on behalf of the company/firm in dealing with Tender.

She/he is also authorized to attend meetings & submit technical & commercial information/clarifications as may be required by you in the course of processing the Bid. For the Purpose of validation, his/her verified signatures are as under.

Thanking you.

Name of Bidder: **Verified Signature**

Authorized Signatory:

Seal of the Organization:

Date: ....

Place: ....

कार्यालय उपनिदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, भीलवाड़ा

वाटर कुलर आपूर्ति कार्य हेतु वित्तीय निविदा :– (PART-B)

(राशि रूपयें में)

क्र.स.	कार्य का विवरण	मात्रा	प्रति वाटर कुलर राशि	जीएसटी राशि नियमानुसार प्रति वाटर कूलर	कुल योग समस्त कर एवं शुल्क सहित प्रति वाटर कूलर (अंको व शब्दो में)
1	राजकीय छात्रावासों में वाटर कुलर मय आर. ओ. आपूर्ति एवं इंस्टोलेशन	4			

नोट :– दरें अंको एवं शब्दों मे सुस्पष्ट लिखी हुई होनी चाहीए। यदि किसी प्रकार की कटिंग हो तो उस पर हस्ताक्षर होने आवश्यक है।

निविदादाता के हस्ताक्षर
मय फर्म की मोहर

परिशिष्ठ–अ

छात्रावासों की सूची जहां पर वाटर कूलर मय आर.ओ. सप्लाई/इंस्टोल किया जाना है :–

क्र.स.	नाम का छात्रावास	वर्ग	अनुमानित दूरी जिला मुख्यालय से
1	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास बिजौलिया	ST	100 किमी
2	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास पारोली	ST	50 किमी
3	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास शक्करगढ़	ST	100 किमी
4	राजकीय सावित्री बाई फूले बालिका छात्रावास जहाजपुर	ST	90 किमी

नोट :–निविदा शर्तो के अनुसार समस्त सामग्री की आपूर्ति फर्म को स्वयं के खर्च पर उपरोक्तानुसार छात्रावासो में करनी होगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मुहर

परिशिष्ठ—ब

वाटर कुलर एवं आर.ओ. की निर्धारित तकनीकी स्पेसिफिकेशन

RO Specification

Product	RO Purification System
Applications	Ideal for Ground & Surface Water
Purification Technology	Particle Filter, Sediment Filter, Pre Activated Carbon, RO Membrane,UV Process, UF Process
Input Voltage	Single Phase 220 ± 10 V AC/50Hz
Purifiled Water Deliver	25 LPH
Body Material	S.S.
Booster Pump	150 GPD minimum
RO Membrane	150 GPD minimum
In Water Pressure/Temp	0.4 to 3 Kg/CM^2/35°C
L.P.S.	For Automatic On-Off System
S.V.	S.S. Solenoid Valve for Contraol & Regulate Water Flow
H.P.S.	Automatic Shuts off when the Purified Water Storage Tank Gets Full

Water Coolar Specification

CAPACITY/ENERGY	
Cooling Capacity liters/Hour	40 Liters/hour
Storage Capacity	40 Liters
Maximum Energy Consumption (Watt)	575 Watt for 40 ltr/hr cooling cap.
Power Factor	1
CERTIFICATION	
Conformity to Indian	IS 1475 latest standard
ISI Marked	Yes
CM/L No. and Date	6497996
Test Report Number & Date	-
Name & Address of Lab	-
GENRIC	
Eco-Friendly (Non CFC Refrigerant)	Yes
Water Tank Sheet material and thickness	Stainless Steel (Grade AISI 304) thickness>0.5 mm or more
Water Tank cover and lid botton sheet material	A1, Sheet
Water Tank Cover and lid bottom Sheet Thickness	1.5 milimeter
Cooler Cabinet Sheet material	Stainless steel (Grade AISI 304)
Cooler Cabinet Sheet thickness	0.8 milimeter or more
Warranty on Machine and Compressor	1 Year

समाचार–पत्र में प्रकाशनार्थ

राजस्थान सरकार

कार्यालय, उपनिदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, भीलवाड़ा

क्रमांकः लेखा / निविदा / राछा / 2022–23 / 7031 दिनांकः 7/2/2023

खुली बोली सूचना 01 / 2022–23

कार्यालय उपनिदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, भीलवाड़ा द्वारा वाटर कूलर मय आर.ओ. क्रय हेतु अनुमानित राशि 2.40 लाख रूपयें की खुली बोली निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 14 / 02 / 2023 दोपहर 03.00 बजें तक आमंत्रित की जाती है। निविदा से सम्बन्धित सम्पूर्ण प्रपत्र एवं विस्तृत शर्तें विभागीय वेबसाईट http://www.sje.rajasthan.gov.in अथवा http://sppp.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है।

उपनिदेशक
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,
भीलवाड़ा

क्रमांकः लेखा / निविदा / राछा / 2022–23 / 7033-34 दिनांकः 7/2/2023

प्रतिलिपि–

1. सम्पादक राज0पत्रिका भीलवाड़ा एवं दैनिक भास्कर भीलवाड़ा को वास्ते डीपीआर की न्युनतम दर व साईज पर भीलवाड़ा संस्करण में प्रकाशित करने हेतु
2. कार्यालय प्रति

उपनिदेशक
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,
भीलवाड़ा